राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल न्यूज लेटर

प्रथम अंक | बेहतर पर्यावरण के चार बरस अप्रेल, 2014–मार्च, 2018 | वर्ष 2018

कोटा में आयोजित डिजिफेस्ट, 2017 में लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जानकारी देती हुई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोरा।

युवाओं के लिए समर्पित डिजिफेस्ट राजस्थान की शिक्षा राजधानी कोटा में 17–19 अगस्त, 2017 को आयोजित हुआ। डिजिटल राजस्थान के स्वप्न को साकार करने की दिशा में डिजिफेस्ट एक अहम कदम के रूप में लाया गया।

इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ प्रमुख शासन सचिव, आईटी श्री अखिल अरोरा अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। डिजिफेस्ट में शामिल होने के लिए युवाओं की लंबी–लंबी कतारें लगीं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा देश में पहली बार मैसर्स लिपि डाटा सिस्टम, उदयपुर के सहयोग से क्लोथ वेण्डिंग मशीन को विकसित किया गया है, जिसमें मशीन में 5 रूपये का सिक्का डालने पर कपड़े के दो बैग प्राप्त हो जायेंगे।

राज्य मण्डल के सहयोग से जयपुर, अजमेर एवं कोटा में ऐसी एक–एक मशीन परीक्षण के तौर पर स्थापित की जा चुकी है।

ग्रीन–ए–थॉन में क्लॉथ वेंडिंग मशीन से कपड़े के दो बैग लेने के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जानकारी देते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पूर्व सदस्य सचिव श्री केसीए अरूण प्रसाद।

अध्यक्ष की कलम से

पर्यावरण सम्मत विकास के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यरत है और इसी दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। नीतिगत निर्णयों के तहत राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर सम्मति वैधता अवधि में विस्तार किया गया है।

अब लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिये किया गया।

इसके अतिरिक्त सम्मति आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रक्रिया के सरलीकरण से उद्यमियों को सुविधा होगी और कार्यों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित होगा।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सम्मति एवं प्राधिकार पत्रों का निष्पादन तीव्र गति से किया जा रहा है। आवेदन पत्र निस्तारण प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिससे आवेदकों को परेशान न होना पड़े और उन्हें डिजिटल इंडिया में मिल रही सुविधाओं का लाभ मिले। दिनांक 11 जनवरी, 2016 को दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना जयपुर और भिवाडी, जिला अलवर में की गई है।

कार्मिकों के लिये ऑपरेटिंग मैन्यूअल दिनांक 02.01.2015 से प्रभावी कर दिये गये हैं। लिखित दस्तावेज होने से अब पारदर्शिता, कार्य में समरूपता और कार्यवाही में सटीकता का समावेश होगा। इससे एक तरफ कारोबारी माहौल में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरणीय कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी आसानी होगी।

डिजिटल इंडिया का लाभ देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ई–मेल, एसएमएस द्वारा सूचना भेजने की प्रणाली प्रारम्भ की गई है, जिससे आवेदकों को आसानी हो। साथ ही कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण करने को बल मिलेगा।

राज्य मण्डल द्वारा 10 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किये गये हैं। ये केंद्र जयपुर में 3 और कोटा, उदयपुर, अलवर, भिवाडी, पाली एवं अजमेर में 1–1 हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों से वायु गुणवत्ता का आकलन होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए एक मोबाइल एप 'राज वायु' 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया।

राज्य मण्डल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ–साथ पर्यावरण प्रबंधन के संचालन व रख–रखाव के लिये जनशक्ति को कुशल प्रशिक्षित करने हेतु सेन्टर फॉर एक्सीलैंस की स्थापना की गई।

डिजीफेस्ट कोटा और उदयपुर में वर्ष 2017 के दौरान आयोजित हुआ जबकि जयपुर में मार्च, 2018 के दौरान ग्रीन–ए–थॉन का आयोजन किया गया।

पुनश्च, विकास के लिए सुरक्षित पर्यावरण को निरंतर बनाये रखना एक चुनौती है और उससे निपटने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सक्रिय है।

अपर्णा अरोरा,
अध्यक्ष,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

संपादकीय

बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तेजी के साथ काम कर रहा है। इस दिशा में मंडल का पहला आरएसपीसीबी न्यूज लेटर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें बीते 4 साल की अवधि को रखकर एक अच्छी शुरूआत करने की कोशिश की गई है। यह अंक तस्वीरों और अन्य तथ्यों के साथ मंडल के बीते चार सालों में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों को उजागर करता है।

पर्यावरण प्रबंधन की मांग और संसाधनों के बीच संतुलन प्रभावी बनाना जरूरी है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता को संतोषजनक स्तर पर रखा जा सकता है। पर्यावरणीय नियोजन, मूल्यांकन और लागू कानून के पर्यावरण के किसी भी तर्कसंगत प्रबंधन के लिए, पर्यावरण की स्थिति पर सत्यापन योग्य ज्ञान की उपलब्धता एक पूर्व–आवश्यकता है।

इस आलोक में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रसारित जन जागरूकता के बदौलत दीपावली के दौरान वायु–ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचा है और बीते सालों की तुलना में कुछेक स्थानों पर कमी दर्ज की गई। भूमिगत जल की शुद्धता को बनाये रखने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जोर दिया गया है और ऐसा माहौल बनाया गया कि उद्योग भी इसमें खुद से रूचि लें।

शहरों में वायु की गुणवत्ता संबंधी जानकारियों के प्रचार–प्रसार करने की भरपूर कोशिश की गई है। इसी के तहत राज वायु ऐप पर पीएम–10, पीएम–2.5 सहित कई प्रमुख गैसों की हवा में मौजूदगी को रखा गया है, जिसके आंकड़े हर घंटे अपडेट होते रहते हैं। इससे पढ़े–लिखे तबके के लोगों के बीच वायु प्रदूषण संबंधी स्थिति संबंधी जागरूकता फैलाने में मदद मिली है।

सभी चीजों को एक अंक में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः अन्य और नवीन तथ्यों को अगले न्यूज लेटर में पेश किया जायेगा। उम्मीद है कि यह अंक सभी को पसंद आयेगा।

अजय कुमार गुप्ता,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

विगत चार वर्षों के लिए समर्पित इस अंक के बारे में यह कहना जरूरी है कि इस दौरान के सभी आयोजनों को एक साथ समेट पाना मुश्किल भरा रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जल और वायु संबंधी नियमों के साथ एनजीटी के आदेशों की अनुपालना में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।

परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश के विकास के बावजूद प्रदूषणों की रोकथाम में सराहनीय सफलता मिली है। हालांकि विकास के कारण प्रदूषण संबंधी चुनौतियां बरकरार रहेंगी। लेकिन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल इस दिशा में आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

डॉ. वीके सिंघल
मुख्य पर्यावरण अभियंता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

ग्रीन–ए–थॉन

बेहतर कल बनाने की दिशा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान आईटी दिवस 2018 पर 'ग्रीन–ए–थॉन 19–21 मार्च, 2018 को आयोजित किया गया। इसमें देशभर से लगभग 600 विद्यार्थी आये। प्रतिभागियों ने प्रस्ताव, मॉड्यूल और समाधान के उपाय रखे। यहां छात्रों को टिकाऊ ऊर्जा के साथ–साथ पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मसले पर अपने सरल विचारों का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। राजस्थान कॉलेज में आयोजित इस स्थल पर चुनौती यही थी कि शहरों को स्मार्ट और हरे बनाने हेतु टिकाऊ समाधान के तरीके क्या–क्या हो सकते हैं।

कार्यक्रम का मूल भाव इस पर था कि नये विचार आयें। साथ ही उसके क्रियान्वयन में दिक्कत न आये। तमाम प्रस्तावों में से पहले विजेता का 15 लाख रूपए, द्वितीय विजेता को 10 लाख रूपए और तृतीय विजेता को 7.5 लाख रूपए का अवार्ड दिया गया। ग्रीन–ए–थॉन के प्रतिभागियों के अलावा स्कूली विद्यार्थियों और आगंतुकों के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। क्विज, चित्रकारी सहित अन्य गतिविधियां हुईं। इन गतिविधियों में प्रदर्शन करने वालों को स्मार्ट फोन, पावर बैंक, पेन ड्राइव इत्यादि जैसे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

ग्रीन–ए–थॉन में शामिल हुए युवा प्रतिभागी।

चित्रकारी के लिए विचारों में डूबा बाल–मन।

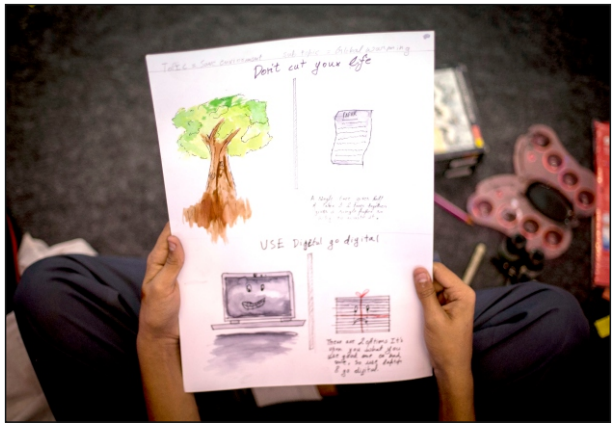

जीवन और आधुनिकता का संदेश देता हुआ चित्र।

चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल बच्चे।

सम्मति वैधता अवधि की सरलीकृत आवेदन–निस्तारण प्रकिया

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करने के लिए राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिये सम्मति वैधता अवधि की गई है। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी सम्मति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।

औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, स्थापना एवं संचालन सम्मति हेतु आवेदन पत्रों के ऑनलाइन निवेदन तथा निपटान की सुविधा चालू करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा अपने एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया।

इसके अतिरिक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धनं) नियम 2016 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इससे आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का पहले से अधिक सरलीकरण हो गया और सम्मति वैधता की अवधि में भी विस्तार किया गया।

साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (ग्रीन कैटेगिरी) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है और क्वैरी लाइसेंस के लिए एक हेक्टेयर तक का क्षेत्र है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा।

इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार ही जमा कराना होगा एवं सम्मति वार्षिक नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

यह सम्मति आवेदन दिनांक 01.12.2015 से ऑनलाइन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई–मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाइन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा, प्रक्रिया के सरलीकरण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में राज्य मण्डल के मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न सम्मति/प्राधिकार एवं पंजीयन जारी करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई। यथा 50 के.एल.डी. से कम उच्छिष्ट निकास करने वाली टेक्सटाइल इकाइयों के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

उद्योगों की बढती संख्या और शहरीकरण को देखते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2016 को दो नये क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और भिवाडी, जिला अलवर में स्थापित कर दिये गये हैं।

कार्मिकों के लिये ऑपरेटिंग मैन्यूअल लागू

प्रशासनिक सुधार हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कार्मिकों के लिये ऑपरेटिंग मैन्युअल तैयार कर दिनांक 02.01.2015 से प्रभावी कर दिया गया है। लिखित दस्तावेज होने से पारदर्शिता, कार्य में समरूपता और कार्यवाही में सटीकता का समावेश होगा। इससे अब एक तरफ

कारोबारी माहौल में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरणीय कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी आसानी होगी।

अलर्ट की सूचना हुई इलेक्ट्रॉनिक

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सूचना संपर्क प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ई–मेल, एस. एम.एस. अलर्ट द्वारा सूचना भेजने की प्रणाली शुरू कर दी गई है। मंडल के विभिन्न संकायों द्वारा मार्च, 2018 तक 30 लाख से अधिक संदेश भेजे जा चुके हैं।

कार्यशालाओं का आयोजन

राज्य मण्डल द्वारा राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु 2 कार्यशालाओं का आयोजन जोधपुर में दिनांक 16.10.2015 एवं भिवाड़ी में दिनांक 21.04. 2016 को किया गया। इसके अतिरिक्त इसके डाफ्ट गाइडलाइन पर सभी संबंधित विभागों, सी.ई. टी.पी. ट्रस्टों से उनके सुझाव/टिप्पणी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 20.05.2016 को जयपुर में किया गया। उपरोक्त गाइडलाइन राज्य मण्डल द्वारा जारी कर दी गई।

राज्य मण्डल द्वारा राज्य में बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में राज्य के मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग के सहयोग से तीन कार्यशालाओं का आयोजन अजमेर, जयपुर व भरतपुर में क्रमशः दिनांक 25, 26 व 27 अक्टूबर, 2016 को किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने एसएमएस अस्पताल, जयपुर में बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 21 फरवरी, 2018 को किया गया।

राज्य मण्डल द्वारा राज्य में ग्रीन बिल्डिंग के संबंध में तीन दिवसीय अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आई.जी.बी.सी. व सी.आई.जेड. के सहयोग से दिनांक 5, 6 व 7 जून, 2017 को आई.एल.डी. कैम्पास, जामडोली में आयोजित किया गया।

ग्रीन बिल्डिंग पर वन व पर्यावरण मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर की उपस्थिति में विचार रखते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पूर्व सदस्य सचिव श्री केसीए अरूण प्रसाद।

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग के रेटिंग के अंतर्गत आने वाले सलाहकारों को प्रशिक्षण देना था, जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में जानकारी बढ़ सके। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दिनांक 10.04.2017 को राज्य मण्डल मुख्यालय पर प्लास्टिक/ पॉलिथिन के व्यवहार्य विकल्प पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इस सिम्पोजियम में प्लास्टिक एवं पोलीथीन के विकल्पों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

मोबाइल एप राज वायु

राज्य मण्डल द्वारा ''राज वायु'' नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल एप 5 जून, 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता

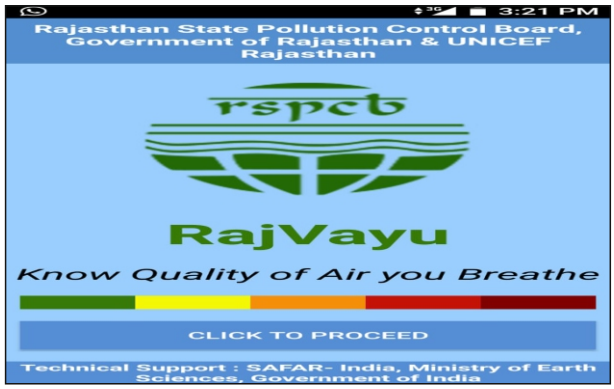

सॉस लेने वाली हवा की शुद्धता के रंग दर्शाता एप।

सूचकांक विभिन्न रंगों से आरेख के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाइल एप यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

परम्परागत भट्टों हेतु मार्ग–दर्शिका

राज्य मण्डल ने कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा–कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की।

स्टोन कशर दिशा–निर्देश

पत्थर कोल्हू इकाइयों के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए नए और मौजूदा पत्थर कोल्हू इकाइयों के लिए दिशा–निर्देशों को जारी किया गया। राजस्थान भूमि राजस्व (ग्रामीण इलाकों में गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण) नियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पत्थर क्रशिंग इकाई की स्थापना के उद्देश्य से विधिवत रूप से परिवर्तित भूमि के एक टुकड़े पर नया पत्थर कोल्हू यूनिट स्थापित किया जा सकता है।

संशोधन नियम, 2016 के तहत नए पत्थर कोल्हू इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूमि पर की जा सकती है।

राजस्थान भूमि राजस्व (ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण) नियम –2007 और संशोधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार भूमि की उपयुक्तता के संबंध में संबंधित राजस्व प्राधिकरण से पूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद खनन पट्टे पर स्टोन कोल्हू इकाइयों की स्थापना भी की जा सकती है। पत्थर कोल्हू की स्थापना के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र को उप–मंडल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी जारी नहीं कर सकते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के प्रोजेक्ट

राज्य मण्डल द्वारा 8 जल निकायों कानोता बांध जयपुर,, जैत सागर बुन्दी, कोटा बैराज, उदयसागर, जयसंमन्द, राजसमन्द, जवांई बांध पाली, तथा मैजा बांध भिलवाडा में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए विस्तृत अध्ययन एव कार्य योजना का कार्य मैसर्स पीडीकोर लिमिटेड से करवाया गया। पीडीकोर द्वारा प्रस्तुत योजना रिपोर्ट को प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को भेजा जा चुका है।

टेक्सटाइल अपशिष्ट जल पर प्रोजेक्ट का कार्य सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एमएनआईटी, जयपुर को दिया गया है। योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल अपशिष्ट जल को रंग एव केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड के संदर्भ में मृदा के साथ उपचारित किया जायेगा।

मार्बल स्लरी का प्रयोग करके हाइड्रोक्सिपेटीट के उत्पादन संबंधी प्रोजेक्ट का कार्य केमिकल इंजिनियरिंग विभाग, एमएनआईटी, जयपुर को दिया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला स्तर पर एक घरेलू डिफ्लोरिडेशन यूनिट का विकास किया जायेगा, जो कि राज्य में फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोराइड के निष्कासन में सहयोग प्रदान करेगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यह कार्य वन्य जीव संस्थान, देहरादून को दिया गया है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान के जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में लुप्तप्रायः ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड के बारे में अध्ययन किया जायेगा। साथ ही बिजली की लाइन तथा पवन चक्कियों के नेटवर्क से होने वाले खतरे को पता करके जीआइएस विधि द्वारा कार्य योजना बनाई जायेगी।

झालाना क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रोजेक्ट का कार्य वन विभाग, राजस्थान सरकार को दिया गया। योजना के अन्तर्गत झालाना क्षेत्र में स्थापित औधोगिक क्षेत्र से हो रहे प्रदूषण की

रोकथाम हेतु झालाना ग्रीन स्पेस का पुनर्निर्माण किया जायेगा, जिसमें जल निकास हेतु लाइन बनाना, प्राकृतिक निस्पदंन, जलीय वनस्पतियों तथा जीवों का विकास प्राकृतिक परिवेश मे सुधार आदि किया जायेगा।

राज्य मण्डल द्वारा सीबीआरआई, रूडकी से कोटा स्टोन कटिंग वेस्ट तथा स्लरी वेस्ट का उपयोग कर फ्लोर तथा वॉल टाइल्स, ब्लॉक्स आदि बनाने का अध्ययन करवाया गया है। वर्तमान में सीबीआरआई रूडकी द्वारा राज्य मण्डल को टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर कर दी गई है। इस संबंध में राज्य बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता और एक प्रोजेक्ट को राशि देने की स्वीकृति दे दी है। तीन और प्रोजेक्ट को तकनीक उपलब्ध करवाया जाना है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

राज्य मण्डल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ–साथ पर्यावरण प्रबंधन के संचालन व रख–रखाव के लिये जनशक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों को जल व उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, हजार्डियस अपशिष्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट आदि के निस्तारण व प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

स्टार्ट अप पॉलिसी

राज्य सरकार की स्टार्ट अप योजना– 2015 के तहत राज्य मण्डल द्वारा स्टार्ट अप पॉलिसी जारी की गई है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक/नगरीय कचरा के उपयोग के क्षेत्र में प्रारम्भिक तथा नवीन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि कचरे का उपयोग ऊर्जा, सामग्री व अन्य उपयोगी उत्पादों में किया जाये। साथ ही, कचरे की समस्या का भी निस्तारण हो सके। इस उद्देश्य के लिए राशि रूपये 5 करोड़ का कॉरपस फण्ड रखा गया है। इस संबंध में राज्य बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता और एक प्रोजेक्ट को राशि देने की स्वीकृति दे दी है।

डिजीफेस्ट कोटा

डिजीफेस्ट कोटा की प्रदर्शनी में रखे गये टाइल्स।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोरा, मुख्य पर्यावरण अभियंता डॉ. विजय सिंघल, श्री भुवनेश माथुर, सुश्री पायल पंचोली के साथ अन्य अधिकारी।

संरक्षक
श्रीमती अपर्णा अरोरा, (आईएएस),
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मंडल

संपादक
श्री अजय कुमार गुप्ता,
सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मंडल

संयोजन
श्री लोकेश प्रसाद आनन्द
आईईसी, राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मंडल